

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम घरटा तहसील बनेड़ा

पीठासीन अधिकारी - श्री संजय माथुर

(आर.ए.एस.)

क्रमांक - 140/2015

उनवान

1. चन्दाकंवर पत्नि शत्रुघन सिंह राजपूत नि० भटेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
_____ (प्रार्थी)

बनाम

1. टमुकंवर पत्नि सत्यनारायण सिंह राजपूत नि० भटेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. बैंक ऑफ बडौदा शाखा डाबला जरिये बैंक मेनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
_____ (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा०भू०अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 09.05.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 25.01.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2069 से 2072 की जमाबंदी अनुसार वाके ग्राम भटेडा पटवार क्षेत्र घरटा भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 137 के आ०न० 1739/1584, 1740/1584 कुल किता 2 कुल रकबा 05-10 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम घरटा मे दिनांक 9.05.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर कोई आपत्ति नही होना बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

ग्राम भटेडा पटवार क्षेत्र घरटा भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 137 के आ०न० 1739/1584, 1740/1584 कुल किता 2 कुल रकबा 05-10 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू०अ०नि० की कमिश्नर फीस 600/- रुपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिगत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प घरटा मे सरे इजलास सुनाया गया।



(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
न्यायालय भीलवाड़ा